उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
5/2021/संख्या-सामान्य/549/का-4-2021-303/2020
लखनऊ:: दिनांक: 07 मई, 2021

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के संबंध में कार्य की व्यवस्था ।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/527/सामान्य-का-4-2021-303/2020 दिनांक 09.04.2021, संख्या-02/2021/07/भा0स0/का-4-2021-303/2020 दिनांक 21.04.2021 तथा संख्या-03/2021/142/ संघ/का-4-2021-303/2020 दिनांक 28.04.2021 द्वारा विभिन्न कार्यालयों में उपस्थित होकर तथा घर से कार्य संपादित करने के निर्देश दिये गये हैं । इन निर्देशों के क्रम में पुन: निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:-

(1) शासनादेश संख्या-02/2021/07/भा0स0/का-4-2021-303/2020 दिनांक 21.04.2021 में 50 प्रतिशत कार्मिकों को कार्यालय आकर एवं 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर से कार्य करने के निर्देश दिये हैं। अब यह व्यवस्था की जाती है कि स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे किन्तु एक समय में कार्मिकों की उपस्थिति स्वीकृत जनशक्ति की 33 प्रतिशत तक होगी, शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य संपादित करेंगे ।

(2) शासनादेश संख्या-03/2021/142/संघ/का-4-2021-303/2020 दिनांक 28.04.2021 के द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य करने के लिये निर्देश दिये गये हैं। अब वे कार्मिक जो अस्वस्थ हो गये हैं वे घर से कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे ।

(3) उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शेष व्यवस्थायें यथावत पूर्ण रूप से लागू रहेगीं ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

5/2021/संख्या-सामान्य/549/का-4-2021-303/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in